खंड 1 संख्या 126

राष्ट्र महिला

जनवरी 2010 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

दहेज मृत्यु तथा दहेज उत्पीड़न के मामलों में होने वाली चिंतनीय वृद्धि की दृष्टि में, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दहेज निषेध अधिनियम में सुझाये गये संशोधनों पर सरकार विचार कर रही है ताकि इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। संशोधन स्वीकार करने पर, महिलाएं विवाह में मिलने वाले 5000 रुपये से अधिक मूल्य के उपहारों को दहेज निषेध अधिकारी के पास पंजीकृत करा सकेंगी।

संशोधनों का ध्येय महिलाओं को दहेज अपराधों के लिए अधिक कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना और विवाह विच्छेद की दशा में पर्याप्त मुआवजा देना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधि मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय आदि के प्रतिनिधियों के एक दल ने निर्णय लिया है कि स्त्रीधन तथा मेहर सहित विवाह में प्राप्त सभी उपहारों का तथा शिशु जन्म जैसे समारोहों में भी प्राप्त उपहारों का दहेज निषेध अधिकारी के पास पंजीकरण कराए जाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

सुझाव दिए गये अन्य संशोधनों में कहा गया है कि दहेज देने वालों को दी जाने वाली सज़ा अपेक्षाकृत कम होगी और उपहारों के पंजीकरण से महिलाओं को आवश्यकता पड़ने पर अपने उपहार वापस मिल सकेंगे।

अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को दहेज निषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा जो अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों को दर्ज करेगा और उनकी जांच-पड़ताल करेगा। अधिनियम को अधिसूचित किए गए 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी अनेक राज्यों द्वारा प्रत्येक जिले में अभी तक दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कम शिकायतें प्राप्त हुई हैं क्योंकि यह पाया गया कि वर्तमान रूप में यह दहेज-लोलुप लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने में कारगर साबित नहीं हुआ है। उपरोक्त संशोधन किए जाने के बाद यह अधिक प्रभावी बन जायेगा और दहेज मांगने वालों के विरुद्ध महिलाओं को कानूनी कार्यवाही करने का एक मंच प्राप्त हो जायेगा।

चर्चा में: दहेज कानून में कारगर संशोधन

उपहारों के पंजीकरण से महिलाओं को दहेज वापस लेने में सहायता मिलेगी। अधिकतर मामलों में दहेज में दी गई राशि के बारे में विवाद उठता है। उपहारों के पंजीकरण के प्रावधान से, महिलाओं को सभी उपहारों का मुआवजा लेने का कानूनी अधिकार मिल जायेगा।

उपहारों पर गलत दावे रोकने के लिए, उपरोक्त दल ने सिफारिश की है कि उनका पंजीकरण किए जाने से पूर्व संरक्षा अधिकारी उपहार-सूची को प्रमाणित करेंगे।

सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिनियम को अधिक प्रभावशाली बनाने के प्रयोजन से, संरक्षा अधिकारी घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत भी संरक्षा अधिकारी का कार्य कर सकते हैं।

यदि इस अधिक कारगर संशोधित अधिनियम का उपयुक्त रूप से क्रियान्वयन किया गया तो दहेज लेने-देने को कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है।

तेज़ाब से आक्रमण के लिए 10 वर्ष की सज़ा

विधि आयोग ने सिफारिश की है कि तेज़ाब से आक्रमण करने वाले अपराधी को न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास की सज़ा दी जाये जो, इस अपराध को दंड संहिता में शामिल किए जाने के बाद, आजन्म कारावास तक बढ़ाई जा सकती है।

तेज़ाब से किए जाने वाले आक्रमणों को गंभीरता से लेते हुए, विधि आयोग ने इसे अत्यंत हिंसक अपराधों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है तथा खुले बाज़ार में तेज़ाब बेचे जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने की सिफारिश की है।

सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की है कि 'आपराधिक आघात मुआवजा अधिनियम' बना कर उसमें तेज़ाब आक्रमणों, बलात्कार तथा यौन प्रहार जैसे हिंसक अपराधों के पीड़ितों को आर्थिक मुआवज़ा देने और उनके पुनर्वास के लिए चिकित्सा तथा अन्य खर्चों का प्रावधान किया जाये।

आयोग ने रूचिका का मामला हाथ में लिया

हरियाणा के एक पूर्व पुलिस महानिदेशक द्वारा एक युवा लड़की का कथित यौन-उत्पीड़न किए जाने के मामले में होने वाले विलम्ब पर कड़ी आपत्ति उठाते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने हरियाणा सरकार को लिखा है कि फैसले के विरुद्ध वह अपील करे। साथ ही, पीड़िता को हर्जाना दिए जाने के लिए आयोग मुकदमा दायर करने पर विचार कर रहा है।

रूचिका मामले में आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास एक प्रेस सम्मेलन संबोधित करते हुए

पूर्व पुलिस महानिदेशक को दी गई मामूली सज़ा पर चिंता व्यक्त करते हुए, आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आत्महत्या उकसाने का आरोप भी पुलिस ने वापस ले लिया है। मीडिया के लोगों को उन्होंने बताया कि उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को यौन प्रहार विधेयक शीघ्र संसद में लाने के लिए लिखा है। अध्यक्षा ने विधि मंत्रालय को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए एक पत्र भेजा है। बलात्कार संबंधी वर्तमान प्रावधानों के अतिरिक्त, उक्त विधेयक में महिलाओं पर किए जाने वाले सभी प्रकार के यौन प्रहारों को शामिल किया गया है ताकि इन्हें एकल कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाया जा सके। उन्होंने कहाः "फैसले का मुद्दा हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ उठाया है और हाल ही में दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आग्रह किया है। गृह मंत्री से उनके मंत्रालय में पड़े यौन प्रहार विधेयक पर त्वरित निर्णय लेने का भी हमने आग्रह किया है ताकि इसे शीघ्रतिशीघ्र संसद में पेश किया जा सके।"

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस बात की जांच करने के लिए वकीलों की एक समिति भी गठित की है कि क्या मामले को 'रफादफा' करने का प्रयास किया गया था। आयोग ने कहा है कि हर्जाना दिए जाने का मुकदमा दायर करने से पूर्व वह पीड़िता के परिवार से सलाह करेगा।

आयोग की अध्यक्षा ने कहा : "यदि अपील पर राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो हम भी हस्तक्षेप कर सकते हैं।"

साहस का प्रतीक

पुडुचेरी में कोराईकेनी ग्रामीण क्षेत्र की प्रिया नाम की एक युवा महिला ने अपने विवाह के दौरान दूल्हे द्वारा दहेज की मांग ठुकराते हुए दहेज के विरोध में बड़े साहस का परिचय दिया। उसी दिन उसी स्थान पर उसने एक अन्य युवक से विवाह कर लिया।

यह घटना पुडुचेरी के बालामुरुगन तिरुमननीलायम में घटी जहां प्रिया (21 वर्ष) और उसके दूल्हे (25 वर्ष) का विवाह सम्पन्न होने वाला था। दूल्हे और उसकी मां ने जानना चाहा कि दहेज में वाशिंग मशीन, रेफ्रीजरेटर और टेलीविजन भी शामिल किए गए हैं या नहीं।

दुल्हन के परिवार ने सोने के 15 सिक्के दिए थे और इससे आगे कुछ और देने में उस समय असमर्थता प्रकट करते हुए दूल्हे को मनाया कि अभी तो वह विवाह सम्पन्न कर ले, ये चीज़ें विवाह के बाद भेज दी जायेंगी

परन्तु जब प्रिया ने उससे विवाह करने से इंकार कर दिया तो वह स्तब्ध रह गया। एक कृषि मज़दूर की बेटी प्रिया ने अपने मां-बाप से कहा कि वह ऐसे पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती जो उसकी नहीं बल्कि चीजों की कद्र करता है। तब प्रिया के एक दूर के रिश्तेदार ने, जो वहां मौजूद था, उससे विवाह कर लिया।

विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया तलाक कानूनन मान्य

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी विदेशी न्यायालय से प्राप्त किया गया तलाक भारत में मान्य होगा।

अब तक, विदेश के किसी न्यायालय में प्राप्त तलाक के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश न होने के कारण यहां का हर न्यायालय इस बारे में अपनी-अपनी व्याख्या करता था।

विपदाओं का सामना करने की तैयारी में महिलाओं की भूमिका

नई दिल्ली में 'अखिल भारतीय शांति एवं विपदा प्रबंधन' द्वारा 'विपदाओं का सामना करने की तैयारी में महिलाओं की भूमिका' विषय पर आयोजित एक सेमिनार में आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

सम्मेलन में विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों तथा विदेशों से आए बुद्धिजीवियों तथा प्रतिनिधियों ने इस विषय पर अपने शोध-पत्र प्रस्तुत किए।

डॉ. गिरिजा व्यास, बायें से तृतीय

आयोग की अध्यक्षा की गृह मंत्री से भेंट : बलात्कारियों को कठोर सज़ा देने की मांग

रूचिका गिलहोत्रा से छेड़छाड़ किए जाने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने गृह मंत्री से भेंट की और यौन प्रहारों से संबंधित कानूनों को बदलने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

उन्होंने मांग की कि बलात्कार तथा छेड़छाड़ करने जैसे अपराधों के लिए कठोर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, विशेषकर जब कि ऐसे अपराध पुलिस अधिकारियों जैसे सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जायें।

उन्होंने कहा : "यौन प्रहारों संबंधी कानूनों में बदलाव लाए जाने की आवश्यकता है। अधिनियम में की गई परिभाषा को विस्तारित करके कठोर सज़ा का प्रावधान किया जाना चाहिए।"

विद्यमान कानून के अनुसार, छेड़छाड़ करने वालों को अधिकतम दो वर्ष की सज़ा दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को कम से कम सात वर्ष के कारावास अथवा आजीवन कारावास की सज़ा मिलनी चाहिए।

डॉ. व्यास ने गृह मंत्री को सुझाव दिया कि यदि इस प्रकार का अपराध किसी सरकारी कर्मचारी या पुलिसकर्मी द्वारा किया जाये तो सज़ा "अधिक कठोर" होनी चाहिए।

बहुत से बलात्कार के मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज न किए जाने पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। श्री चिदम्बरम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि केन्द्र सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में एक 'केन्द्र-राज्य अंतर-मंत्रालय समन्वय समिति' यौन हिंसा संबंधित कानूनों पर पहले से ही विचार कर रही है।

सदस्यों के दौरे

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री नीवा कंवर असम में गुवाहाटी के निकट भोजपुर में स्थित एस.ओ.एस. ग्राम में गईं और 12 फरवरी को पड़ने वाले माघ बीहू त्यौहार से ठीक पूर्व वहां रहने वाले अनाथ बच्चों को बिस्कुट तथा फल वितरित किए।

एस.ओ.एस. ग्राम के कुछ निवासियों के साथ सुश्री नीवा कंवर

● निर्वाह-व्यय पति के रुतबे के अनुसार होगा : न्यायालय

विवाह के पांच मास बाद ही सास-ससुर द्वारा घर से निकाल दी गई महिला के बचाव में आते हुए, नई दिल्ली के एक मुकदमा न्यायालय ने उसके पति को आदेश दिया है कि उसे पर्याप्त भरण-पोषण दिया जाये ताकि वह वही जीवन शैली बनाए रख सके "जो उसकी अपने ससुराल में थी।"

मेट्रोपोलीटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि "किसी भी महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत वही रुतबा बनाए रखने का भरण-पोषण मिलने का हक है जो उसे उसके ससुराल में प्राप्त था न कि उसके मायके के अनुसार। यदि पति की आमदनी बढ़ जाती है, तो पत्नी बढ़ा हुआ भरण-पोषण पाने की हकदार है।" न्यायालय ने आगे कहा : "निर्वाह-व्यय का निर्णय पति की आय तथा पत्नी के ससुराल के रुतबे के अनुसार होगा।"

● सज़ा देने के लिए बलात्कार पीड़िता का साक्ष्य पर्याप्त : न्यायालय

दिल्ली के एक नगर न्यायालय ने कहा है कि बलात्कार के आरोपी को सज़ा देने के लिए पीड़िता का साक्ष्य ही 'पर्याप्त' है तथा अपने साक्ष्य के समर्थन में उससे और साक्षियों के लिए कहना उसका अपमान होगा।

"वादी का कथन ही पर्याप्त है तथा उसकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि कोई बाध्य कारण न हों, उसके साक्ष्य पर ही सज़ा दी जा सकती है।"

● मुस्लिम महिलाएं निर्वाह-व्यय की हकदार : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट संदेश देते हुए कि कानून धर्म, जाति अथवा समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करता, एक निर्णय में कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत, अन्य समुदायों की महिलाओं की भांति मुस्लिम महिला भी निर्वाह-व्यय पाने की हकदार है।

न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यदि वह दोबारा विवाह नहीं करती तो *इद्दत* पूरी होने के बाद भी निर्वाह-व्यय पाने की उसकी याचिका समर्थनीय है।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

● स्वेच्छा से घर छोड़ देने पर कोई भरण-पोषण नहीं : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई पत्नी स्वेच्छा से अपना ससुराल छोड़ कर चली जाये तो वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है।

एक महिला द्वारा अपने पूर्व पति से 4,000 रुपये का मासिक भरण-पोषण दिए जाने की याचिका रद्द करते हुए, एक खंडपीठ ने उसे तलाक की आज्ञा दे दी, किन्तु भरण-पोषण दिए जाने की अपील ठुकरा दी।

● एयरलाइंस पर आयोग शीघ्र मार्गनिर्देश जारी करेगा

एयरलाइंस में काम करने के हालातों के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग का शीघ्र ही मार्गनिर्देश जारी करने का विचार है। इस समय आयोग एक एयर होस्टेस की इस शिकायत की जांच कर रहा है कि विमान की उड़ान के दौरान पायलटों ने उसके साथ छेड़खानी की।

रिपोर्टरों से बात करते हुए, आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि "इसी प्रकार की शिकायतें हमें कई अन्य लोगों से भी प्राप्त हुई हैं। विवादों को कम करने के लिए नियमों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।" उन्होंने बताया कि अधिकतर शिकायतें वेतन में विभेद, पदोन्नतियों के दौरान लिंग-भेद और पायलटों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने से सबंधित हैं।

दिशानिर्देश बनाने से पूर्व प्राइवेट एयरलाइंस के साथ भी परामर्श किया जायेगा। आयोग द्वारा गठित एक पांच-सदस्यीय समिति इस मुद्दे पर विवेचना कर रही है और एक मास के अंदर उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।